

उपबान

पटवारी रसूलपुरा बगाम तहसीलदार, उनियारा

:- आदेश :-

राज्य सरकार के आदेश संयुक्त शासन सचिव राजस्व (गुप-6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र

क्रमांक प(3)राज/6/पाट/04/दिनांक 10.08.2016 के अनुसार रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण के

तहत मौके पर चालू रास्ते का राजस्व अभिलेखी में अंकन करने हेतु तहसीलदार, उनियारा द्वारा ग्राम

सिंदौली पटवार मण्डल रसूलपुरा के आराजी खसरा नम्बर 294 में से जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व

अभिलेख में करवाने हेतु प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान मू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं

नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान मू अभिलेख नियम, 1957 का मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी, नकल

नक्शा, अनापत्ति प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत झुण्डवा, पर्वी मौका पटवारी रसूलपुरा, सरपंच ग्राम पंचायत झुण्डवा,

गुजल नक्शे की वर्तमान प्रिन्ट एवं अभिलेखा तहसीलदार, उनियारा प्रस्तुत हुई। तहसीलदार, उनियारा से प्राप्त

सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया जिसके अनुसार तहसील उनियारा के

ग्राम सिंदौली पटवार मण्डल रसूलपुरा के खसरा नम्बर 294 रकबा 0.18 हे० में सम्पूर्ण 0.18 हेक्टर पर मौके

पर काफी समय पुराना चालू रास्ता है किन्तु राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं है। संबंधित पटवारी हल्का तथा

ग्राम विकास अधिकारी ने अपने मौका रिपोर्ट में उक्त रास्ता काफी समय से चालू बताया है साथ ही

तहसीलदार, उनियारा ने भी उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने की स्पष्ट अभिलेखा की है।

इस प्रकार प्राथना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, उनियारा को

आदेश दिये जाते हैं कि उक्त ग्राम सिंदौली पटवार मण्डल रसूलपुरा के खसरा नम्बर 294 रकबा 0.18

हे० में सम्पूर्ण रकबा 0.18 हेक्टर पर किसी प्रकार का विवाद न होने एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण हो तो

उसे हटवाकर ग्राम सिंदौली पटवार मण्डल रसूलपुरा के खसरा नम्बर 294 रकबा 0.18 हे० में अंकन करके तथा पुराना

रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

यह आदेश आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया

गया।



(रजनी शीमा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
उनियारा (टीक)